ज्ञान-विज्ञानं विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

शुल्क के प्रतिदाय तथा मूल प्रमाणपत्रों को प्रतिधारण के संबंध में

अधिसूचना

अक्टूबर, 2018

1. प्राक्कथन:

आयोग ने छात्रों की अनेकानेक शिकायतों के निवारण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिकायत निवारण) विनियम, 2012 अधिसूचित किया है। परंतु उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) द्वारा शुल्क के अप्रतिदाय तथा मूल प्रमाणपत्रों को प्रतिधारण के संबंध में शिकायतों की अत्यधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने व्यापक अनुदेशों को अधिसूचित करने की आवश्यकता महसूस की ताकि इस कदाचार पर लगाम लगाई जा सके तथा इस अधिसूचना के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार के तहत सभी विश्वविद्यालयों तथा अन्य एचईआई को उपर्युक्त अनुदेश जारी करने का निर्णय लिया।

2. उद्देश्य:

कार्यक्रम से नाम वापस लेने के मामले में शुल्क के प्रतिदाय तथा प्रवेश के समय और/ अथवा उसके पश्चात् मूल प्रमाणपत्रों को अपने पास रखने से संबंधित मामलों में बलात् तथा लाभ अर्जक संस्थागत पद्धतियों को निषिद्ध करना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ञ) के साथ पठित धारा 12 (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यक्रम से नाम वापस लेने के मामले में शुल्क के प्रतिदाय तथा प्रवेश के समय मूल प्रमाणपत्रों को

अपने पास रखने से संबंधित मामलों में मानक प्रचालन पद्धतियों को अंगीकार करने के लिए यह अधिसूचना जारी करता है।

3. अनुप्रयोग तथा प्रवर्तन

3.1 इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट अनुदेश पूर्व में जारी किए गए दिनांक 23 अप्रैल, 2007 की सार्वजनिक सूचना तथा दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 की इसकी अधिसूचना का अधिक्रमण करेंगे। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(च) के तहत सम्मिलित किए गए विश्वविद्यालयों के साथ– साथ उनके संबद्धन के क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले सभी महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के तहत सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किए गए संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर तथा शोध कार्यक्रमों पर लागू होगी।

3.2 इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट उपबंध तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होंगे तथा उनका यहां कवर किए गए मुद्दों तथा मामलों में वर्तमान के साथ– साथ भावी शिकायतों पर कार्यवाही करने के संबंध में विनियामकारी शक्तियां होंगी।

4. एचईआई द्वारा अनिवार्य रूप से अनुपालन किए जाने हेतु विशिष्ट उपबंध

आयोग एतद्द्वारा निम्नवत से संबंधित मुद्दों के बारे में विशिष्ट उपबंध तथा परिणामी अनिवार्य अनुपालनाओं का निर्धारण करता है :

(1) किसी छात्र द्वारा किसी कार्यक्रम से नाम वापस लेने की स्थिति में संबंधित संस्थान द्वारा शुल्क का प्रतिदाय; और

(2) छात्र के शैक्षिक तथा व्यक्तिगत प्रमाणपत्रों का सत्यापन करना तथा उनका प्रतिधारण नहीं करना;

उपर्युक्त (1) और (2) के संबंध में किसी भी शिकायत के मामले में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिकायत निवारण) विनियम, 2012 में यथा विहित शिकायत निवारण तंत्र का पालन किया जाएगा।

4.1 शुल्क का प्रतिदाय

4.1.1 कोई भी एचईआई आवेदकों के लिए अध्ययन कार्यक्रम के दौरान किसी भी समय संस्थान की विवरणिका को क्रय करने को अनिवार्य नहीं बनाएगा। विवरणिका को क्रय करना आवेदक की व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करेगा तथा यदि वह संस्थान की वेबसाइट से जानकारी प्राप्त करना चाहे तो उसे यह अधिकार होगा कि वह इसे नहीं खरीदने का निर्णय ले। जैसा कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 में निर्धारित है तथा छात्रों की हकदारियों संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिशानिर्देशों में दोहराया गया है, सभी एचईआई अपनी वेबसाइट तथा विवरणिका में संस्थान की स्थिति, इसके संबद्धन, प्रत्यायन के दर्जे, वास्तविक परिसम्पत्तियां तथा सुविधाएं, पाठ्यक्रमवार छात्रों की संस्वीकृत दाखिले की संख्या, विभिन्न कार्यक्रमों के लिए भुगतान किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के शुल्क, किसी संपूर्ण कार्यक्रम के लिए भुगतान किया जाने वाला कुल शुल्क, प्रवेश की अंतिम तिथि, संकाय, शासी निकाय के सदस्यों का ब्योरा, शैक्षिक/ कार्यकारी परिषद् जैसे निकायों की बैठक के कार्यवृत्त, आय के स्रोत, वित्तीय स्थिति तथा इसके कार्यकरण के बारे में कोई अन्य जानकारी, जोकि आवेदक के लिए पूर्ण जानकारीप्रद चुनाव करने के लिए अनिवार्य हो, के संबंध में जानकारियां उद्घटित करेंगे।

4.1.2 एचईआई केवल उस सेमेस्टर/ वर्ष के लिए अग्रिम शुल्क प्रभारित करेंगे जिसमें छात्र को शैक्षिक कार्यकलाप करने हैं। संपूर्ण अध्ययन कार्यक्रम जिसमें छात्र नामांकित है, अथवा एक सेमेस्टर/ वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अग्रिम शुल्क का संग्रहण करना पूर्णतः वर्जित है।

4.1.3 यदि छात्र, जिस अध्ययन कार्यक्रम में वह नामांकित है, उस अध्ययन कार्यक्रम से अपना नाम वापस लेना चाहता है तो, छात्र द्वारा जमा किए गए शुल्क के प्रतिदाय' के लिए संबंधित संस्थान निम्नवत पांच स्तरीय प्रणाली का पालन करेगा।

क्रम सं.	शुल्क के प्रतिदाय' प्रतिशत	एचईआई में प्रवेश को वापस लेने का नोटिस प्राप्त होने का समय
(1)	शतप्रतिशत	प्रवेश की अंतिम तिथि को औपचारिक रूप से अधिसूचित किए जाने से 15 अथवा इससे अधिक दिन

(2)	90 प्रतिशत	प्रवेश की अंतिम तिथि को औपचारिक रूप से अधिसूचित किए जाने के 15 दिनों से कम
(3)	80 प्रतिशत	प्रवेश की अंतिम तिथि को औपचारिक रूप से अधिसूचित किए जाने से 15 दिन अथवा कम समय
(4)	50 प्रतिशत	प्रवेश की औपचारिक रूप से अधिसूचित अंतिम तिथि से 15 से अधिक परंतु 30 दिन पूर्व
(5)	शून्य प्रतिशत	प्रवेश की औपचारिक रूप से अधिसूचित अंतिम तिथि से 30 दिनों के पश्चात्

नोट :– 'अवधान राशि तथा प्रतिभूति जमा राशि, जोकि प्रभारयोग्य शुल्क का भाग नहीं है, उनका पूर्णतः प्रतिदाय किया जाएगा।

4.1.4 उपर्युक्त तालिका में मद (1) के मामले में, एचईआई प्रतिदाय योग्य राशि में से संसाधित किए जाने हेतु प्रभार के रूप में छात्र द्वारा प्रदत्त शुल्क के 5 प्रतिशत से अधिक राशि की कटौती नहीं करेगा, जो कि अधिकतम 5000/– रुपए हो सकती है।

4.1.5 सभी एचईआई द्वारा पात्र छात्रों को, उनके द्वारा इस संबंध में लिखित आवेदन की प्राप्ति की तिथि से पन्द्रह दिनों के भीतर शुल्क का प्रतिदाय किया जाएगा।

4.2 छात्र के शैक्षिक तथा व्यक्तिगत प्रमाणपत्रों का सत्यापन करना तथा उनका प्रतिधारण नहीं करना

4.2.1 कोई भी एचईआई छात्रों के मूल शैक्षणिक व्यक्तिगत प्रमाणपत्र जैसे अंक तालिका, विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र तथा अन्य दस्तावेजों को प्रवेश प्रपत्र जमा करते समय संस्थान में जमा करने के लिए नहीं कहेगा, परंतु इन दस्तावेजों की स्व–प्रमाणित प्रतियां जमा करना अनिवार्य होगा।

4.2.2 एचईआई प्रवेश के समय छात्रों की उपस्थिति में मूल प्रमाणपत्रों का सत्यापन करेगा तथा उनकी प्रमाणिकता के संबंध में संतुष्ट हो जाने पर अनुप्रमाणित प्रतियों को अपने रिकार्ड के लिए रखते हुए मूल प्रमाणपत्रों को तुरंत वापस करेगा।

4.2.3 छात्रों के प्रमाणपत्रों की स्व–प्रमाणित प्रतियों को संबंधित संस्थान और/ अथवा संबद्ध करने वाले विश्वविद्यालय द्वारा सभी प्रयोजनों तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं हेतु वैध तथा प्रमाणिक माना जाएगा तथा अध्ययन कार्यक्रम के दौरान किसी भी समय उनके वास्तविक सत्यापन की आवश्यकता पड़ने पर, ऐसा सत्यापन किया जाएगा तथा सत्यापन हेतु उपयोग किए मूल प्रमाणपत्रों को संबंधित छात्र को तुरंत वापस किया जाएगा।

4.2.4 किसी भी परिस्थिति में अथवा किसी भी कारण से प्रमाणपत्रों को संस्थागत अभिरक्षा में लेना पूर्णरूप से वर्जित है।

4.2.5 किसी प्रमाणपत्र की प्रमाणिकता पर किसी प्रकार का संदेह होने की स्थिति में विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड, जिसने छात्र को प्रमाणपत्र जारी किया हो, से एक पत्राचार किया जा सकता है तथा प्रमाणिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा, परंतु किसी भी परिस्थिति में मूल प्रमाणपत्र को एचईआई द्वारा अपने पास नहीं रखा जाएगा।

4.3 शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम)

4.3.1 सभी एचईआई में, इस अधिसूचना में उल्लिखित किसी मुद्दे के संबंध में शिकायत, अभ्यावेदनों तथा परिवादों का समाधान करने तथा उन्हें प्रभावी रूप से निपटाने के लिए समय– समय पर यथा संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिकायत निवारण) विनियम, 2012 द्वारा यथा अधिदेशित ''शिकायत निवारण तंत्र'' होना अनिवार्य है।

4.3.2 जीआरएम, एचईआई की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

4.3.3 एचईआई यह सुनिश्चित करेंगे की प्राप्त हुई सभी शिकायतों का समाधान, जैसा उचित समझा जाए, 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

5. चूककर्ता एचईआई के विरूद्ध आयोग द्वारा की जाने वाली दंडात्मक कार्यवाही

आयोग, इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले अथवा उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहने वाले ऐसे किसी भी एचईआई के संबंध में निम्नलिखित एक अथवा एक से अधिक कार्यवाही करेगा, नामतः–

(क़) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत अनुदान प्राप्त करने हेतु उपर्युक्तता की घोषणा को वापस लेना;

(ख) एचईआई को आवंटित किसी अनुदान को रोकना;

(ग) आयोग के सामान्य अथवा विशेष सहायता कार्यक्रम के तहत किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के लिए एचईआई को अपात्र घोषित करना;

(घ) प्रवेश हेतु संभावित अभ्यर्थियों सहित जनसाधारण को समाचार पत्रों अथवा अन्य उपर्युक्त मीडिया तथा आयोग की वेबसाइट पर स्पष्टरूप से नोटिस प्रदर्शित कर संबंधित एचईआई द्वारा अनुपालन नहीं किए जाने के संबंध में जानकारी प्रदान करना;

(ङ) किसी महाविद्यालय/ संस्थान के मामले में संबद्ध करने वाले विश्वविद्यालय को संबद्धता को वापस लेने की सिफारिश करना;

(च) सम विश्वविद्यालय संस्थान के मामले में, केन्द्र सरकार को सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषणा को वापस लेने की सिफारिश करना;

(छ) राज्य अधिनियम के तहत स्थापित अथवा निगमित किसी विश्वविद्यालय के मामले में उपर्युक्त राज्य सरकार को उपर्युक्त आवश्यक कार्यवाही करने की सिफारिश करना;

(ज) आयोग द्वारा उसकी शक्तियों के भीतर ऐसी अन्य कार्यवाहियां करना जो आयोग उचित समझे;

बशर्ते कि, आयोग द्वारा इस अधिसूचना के तहत एचईआई के विरूद्ध तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी जबतक कि एचईआई को सुने जाने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया हो।

रजनीश

(रजनीश जैन)
सचिव